प्रेस नोट **दिनांक 04.10.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

➢ **थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम डौला में कार की डिग्गी में मिले व्यक्ति के षव की घटना का सफल अनावरण, हत्या में संलिप्त एक अभियुक्ता गिरफ्तार।**

➢ **घटना का सक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 24.09.2020 को जितेन्द्र उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र रामफल निवासी गुहाना बाईबास रोड रेलवे फाटक थाना सिटी सोनीपत हरियाणा की चोट पहुंचाकर हत्या कर षव को थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम डौला में एक सियाज कार की डिग्गी में डाल दिया है। इस सम्बन्ध में मृतक के पिता रामफल पुत्र गिधराला की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 301/2020 धारा 302, 201, 120बी भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

➢ **पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा प्रकाष मे आये तथ्यों व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हत्या का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 04.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सुबह समय करीब 09:50 बजे गुहाना सोनीपत हरियाणा रेलवे फाटक के पास से हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्ता (मृतक की पत्नी) पूजा पत्नी जितेन्द्र निवासी गुहाना बाईबास रोड रेलवे फाटक थाना सिटी सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्ता के विरूद्व थाना सिंघावली अहीर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–**

अभियुक्ता ने पूछताछ मे अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि उसकी षादी वर्ष 2011 में मृतक जितेन्द्र से हुई थी, जिसमें बताया गया था कि लडका बिल्डर है। परन्तु षादी उपरान्त पता चला कि उसकी फर्नीचर की दुकान है तथा वह तांत्रिक क्रियाऐं/माता की चौकी इत्यादि करता है व इस तांत्रिक विद्या की आड में महिलाओं से अवैध सम्बन्ध बनाता था। मेरे पति मृतक जितेन्द्र मेरे साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नही रखता था बल्कि मेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करता था तथा हमेशा गाली गलौच एवं मारपीट करता था। मुझे छोडने की धमकी देता था मुझे पता चला कि वह मुझे छोडने वाला है तथा अन्य किसी महिला से शादी करने वाला है। इसी बीच मृतक जितेन्द्र के एक मित्र रमेष पुत्र चन्द्र निवासी ग्राम गंगेसर सोनीपत हरियाणा से मेरे अवैध संबंध हो गये थे। रमेश द्वारा मुझे एक छोटा मोबाइल फोन व सिम भी दिया गया जिससे मैं केवल रमेश से ही बाते करती थी। अपने पति जितेन्द्र की गलत आदतो से परेशान होकर मैं रमेश के साथ मिलकर पिछले करीब 06–07 माह से अपने पति जितेन्द्र की हत्या का प्लान बना रही थी। योजना के क्रम में पति जितेन्द्र को पहले उसकी ही पिस्टल से व दूसरी बार जहर देकर मारने की कोषिष की परन्तु सफल न हो पाई। बाद में योजना के अनुसार 23.09.2020 की रात्रि को मैने जितेन्द्र के खाने मे नींद की चार गोली मिला दी थी। जिससे वह गहरी नींद मे सो गया तथा घर मे लगे सीसीटीवी कैमरो को मैने रात्रि मे 11.00 बजे के करीब बन्द कर दिया था। उसी रात्रि समय करीब 11:00–12:00 बजे मेरी रमेश से फोन पर बात हुई तथा योजना के मुताबिक पति जितेन्द्र की हत्या करने के लिए रमेश को सुबह 03:00 बजे अपने घर पर बुलाया था। मैं रात्री मे जाग रही थी दिनांक 24.09.2020 को सुबह समय करीब 03:00 बजे मैने अपने घर का मेन गेट खोल दिया। घर के सामने रमेश व उसके दो अन्य साथी एक दूसरी कार से आये, जिन्हे मैने अपने घर के अन्दर बुला लिया। मेरा पति जितेन्द्र गहरी नींद मे सो रहा था, फिर समय करीब 03:30 बजे घर मे रखे हथोडे से रमेश व उसके अन्य साथियो ने मेरे सामने सोते हुए जितेन्द्र पर ताबडतोड वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद हम चारो ने मिलकर जितेन्द्र का शव घर के अन्दर गेलरी मे खडी सियाज कार की डिग्गी मे रख दिया। पति जितेन्द्र के षव को सुबह करीब 04:00 बजे रमेश व उसके साथी कहीं फेकने के लिए सियाज गाडी से लेकर चले गये। बेडरुम के अन्दर बैड पर बिछी चादर व तकिये पर खून लग गया था तो रमेश व उसके साथियो ने मुझे वह चादर व तकिये को जलाने के लिए कहा था। मैने बैडशीट व तकिये को उसी दिन सुबह समय करीब 07:30 बजे घर के सामने पडे कूडे मे जला दिया था तथा फर्श को मैने पानी व फिनायल से धो दिया था। सुबह समय करीब 8:00

बजे मेरा देवर धर्मेन्द्र घर पर आया था। उसने अपने भाई जितेन्द्र के बारे मे पूछा था तो मैने बताया कि वह कही बाहर काम से गये है तथा मुझसे कहकर गये है कि घर पर जो काम चल रहा है अगर मिस्त्री कोई सामान मांगे तो वह उन्हे दे देना। जब रमेश व उसके साथियो द्वारा मेरे पति जितेन्द्र को मारकर सियाज कार की डिग्गी मे डाल लिया था। तब मैने रमेश निवासी गंगेसर सोनीपत को पूर्व मे हुई वार्ता के मुताबिक डेढ लाख रुपये दिये थे।

➤ <u>अभियुक्ता का नाम व पता–</u>

1–(मृतक की पत्नी) पूजा पत्नी जितेन्द्र निवासी गुहाना बाईबास रोड रेलवे फाटक थाना सिटी सोनीपत हरियाणा।

➤ <u>वांछित अभियुक्तों का नाम व पता–</u>

1–रमेष पुत्र स्व0 चन्दर निवासी ग्राम गंगेसर थाना गुहाना सदर सोनीपत हरियाणा।

2–02 अन्य साथी नाम पता अज्ञात।

➤ **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का एक मोबाईल फोन नाजायज बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.10.2020 को कस्बा बागपत से अभियुक्त सादिक पुत्र साबिर निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से लूट का एक मोबाईल फोन नाजायज बरमाद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम लुहारी में हुई युवक की हत्या की घटना के अभियोग में नामित व प्रकाष में आये अभियुक्तों को षरण देने वाले 07 अभियुक्तों व अभियोग में प्रकाष में आये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

थाना बडौत– पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.10.2020 को थाना बडौत के मु0अ0सं0 813/2020 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120बी भादवि में प्रकाष में आये अभियुक्त राजीव पुत्र किरणपाल निवासी खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत व मुकदमें में नामित व प्रकाष में आये अभियुक्तों को षरण देने वाले अभियुक्त 1–परवीन पुत्र लहरी 2–अमिता पत्नी परवीन निवासी मधुबन कालौनी कस्बा व थाना बडौत 3–तरसपाल पुत्र षिवनारायण निवासी खेडा थाना बडौत 4–कमलेष पत्नी तेजपाल 5–तेजपाल पुत्र वेदसिंह 6–अनिता पत्नी तेजवीर 7–संतोष पत्नी ऋषिपाल निवासी गण ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। उपरोक्त अभियोग में षरण देने वाले अभियुक्तों के विरूद्व थाना बडौत पर मु0अ0सं0 828/2020 धारा 216 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **03 वांरटी अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बिनौली– पुलिस द्वारा दिनांक 03.10.2020 को ग्राम फजलपुर से अभियुक्त 1–छोटू उर्फ अरविन्द पुत्र ब्रहमसिंह 2–मोनू पुत्र ब्रहमसिंह निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना बिनौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बालैनी– पुलिस द्वारा दिनांक 03.10.2020 को ग्राम पुरामहादेव से अभियुक्त मकसूद पुत्र फेजू निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बालैनी पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।